**संख्या-7/1-ई.एम./2013-का-4-2013**

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 10 नवम्बर, 2013

विषयः-राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन के संबंध में।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दिनांक 12.11.2013 से अनिश्चितकालीन हड़ताल किये जाने की नोटिस दी गयी है। इस संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जो निम्नवत् हैंः-

(1) स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश दिनांक 18.04.2013 में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण, संगठन में पद धारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाने के प्राविधान हैं।

(2) समस्त राज्य कर्मचारियों (सेवानिवृत्त को सम्मिलित करते हुए) को परिचय पत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 25.07.2013 को शासनादेश निर्गत किया गया है।

(3) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आवेदन करने हेतु राज्य कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने हेतु दिनांक 27.08.2013 को शासनादेश निर्गत किया गया है उक्त व्यवस्था से सामान्य श्रेणी के राज्य कर्मचारी 45 वर्ष की आयु तक राज्याधीन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(4) दिनांक 15 मार्च, 2012 के पूर्व से अवरूद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया, जिससे विभिन्न विभागों में अत्यधिक कर्मियों को पदोन्नति का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है।

(5) प्रदेश सरकार पदोन्नति की दिशा में आने वाली वाजिब कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सतत् प्रयासरत् है, जिससे कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहे। विभिन्न संवर्गों, विशेष रूप से लिपिकीय संवर्गों की पदोन्नतियां, अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने के कारण अथवा परिवीक्षा अवधि पूर्ण न होने के कारण बहुधा बाधित रहती हैं, ऐसे अवरोधों को दूर करने पर सक्रियता से विचार करते हुए, कार्मिक विभाग द्वारा अधिभावी प्रभाव रखने वाली नियमावली का प्रख्यापन किया जाना प्रस्तावित है।

(6) राज्य कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के भत्ते, जिनमें पिछले कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गयी थी, में वृद्धि करते हुए, उन्हें दोगुना कर दिया गया है।

(7) विभिन्न पदों पर परिवक्षा अवधि की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) मृतक आश्रितों को समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

(9) राज्य कर्मचारियों को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलम्ब के प्राप्त हों, इसके लिए अधिभावी प्रभाव रखने वाली सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(10) राज्य सरकार अपने कार्मिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, इस संबंध में संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।

(11) विभिन्न अभियन्त्रण विभागों जैसे-लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आदि में अवर अभियन्ताओं के पदों पर नियमित रूप से भर्ती होती रहे, इसके लिए प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(12) राजस्व विभाग द्वारा सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों के समायोजन के संबंध में सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

(13) पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम स्तरीय सफाई कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे इन कर्मचारियों को सेवा से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

(14) लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा अन्य अभियंत्रण विभागों के अवर अभियन्ताओं की समय से पदोन्नति सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग तथा संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

(15) उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक सेवा संबंधी लाभ प्रदान किये जाने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि कर्मचारी संगठनों के जिलाधिकारी जनपद स्तरीय संगठनों तथा मण्डलायुक्त मण्डल स्तरीय संगठनों के प्रतिनिधिमण्डलों को दिनांक 11.11.2013 को आमंत्रित कर, उन्हें राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी हित में लिये गये निर्णयों/किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराते हुए, उनसे आग्रह करने का कष्ट करें कि वे प्रस्तावित आन्दोलन में प्रतिभागिता न करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in